भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3983

उत्तर देने की तारीख : 25.03.2025

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना

3983. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी योजना), दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना का कार्यान्वयन कर रही है; और

(ख) क्या इन योजनाओं का पन्ना, कटनी, खजुराहो और छतरपुर जिलों के लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता की योजना (एडिप), दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

i. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप योजना)- विभाग एडिप योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती है, ताकि दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने में सहायता मिल सके, जिससे देश भर में दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके और दिव्यांगजनों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके।

ii. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं नामत: दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय

सहायता प्रदान की जाती है और जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर डीडीआरसी की स्थापना और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, का कार्यान्वयन कर रहा है।

iii. दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'दिव्यांग छात्रों (दिव्यांगजन) के लिए छात्रवृत्ति' नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है जिसमें निम्नलिखित छह घटक शामिल हैं; नामत:

- प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X),
- पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा),
- टॉप क्लास एजुकेशन (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा),
- नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप (विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री/पीएचडी),
- दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल. और पी.एच.डी.),

iv. दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना - यह विभाग न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना, जो छात्रवृत्ति की व्यापक योजना का एक घटक है, को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में पात्र दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तथा विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में सक्षम बनाने के लिए कोचिंग सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। यह योजना विभाग द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले समेकित क्षेत्रीय केंद्रों; और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पैनलबद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों, और दिव्यांगजनों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) : विभाग द्वारा छतरपुर जिले के पन्ना, कटनी और खजुराहो जिलों में लाभार्थियों के जीवन पर योजना के प्रभाव की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं अपनाया गया है। हालाँकि, इन जिलों के लाभार्थियों का योजनावार विवरण इस प्रकार है-

i. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप योजना)-

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पन्ना, कटनी और खजुराहो जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है-

क्र.सं.	ज़िला	2022-23	2023-24	2024 से अब तक
1.	कटनी	390	633	234
2.	पन्ना	62	914	120
3.	छतरपुर	415	201	1253

ii. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)- डीडीआर योजना के तहत विभाग जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) को निधियां जारी कर रहा है। कटनी, पन्ना और छतरपुर जिलों में डीडीआरसी की स्थापना की गई है। डीडीआरएस योजना के तहत इन डीडीआरसी को कुल 19,77,500/- रुपये की निधियां जारी की गई हैं। हालांकि, विभाग जिला स्तर पर लाभार्थियों पर डीडीआरएस योजना के प्रभाव की जांच करने के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करता है।

iii. दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना - उपरोक्त सभी योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं तथा इनका कार्यान्वयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, छात्रवृत्ति राशि राज्य/जिलावार आवंटित नहीं की जाती है, बल्कि डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खाते में जारी की जाती है। हालाँकि, उल्लिखित सभी जिले मध्य प्रदेश राज्य के हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई निधियां निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थी	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	2022-23	4003	4.60
2.	2023-24	5661	9.73

iv. दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना - योजना के तहत अब तक 331 दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जा चुकी है। यह योजना पटना, कटनी और खजुराहो सहित पूरे देश में लागू की जा रही है।

*****